आर्टिकल 370 और आधी आबादी का सच

डॉ. सीमा सिंह
पोस्ट डॉक्टरल फेलो, आईसीएचआर।

भारत के संविधान के अंर्तगत आने से कश्मीर को सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो भारत के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं। इस संविधान की छाया में कश्मीर के नागरिक भी सुख का अनुभव कर पायेंगे। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं - ''उस सिरफिरे को यूं नहीं बहला सकेंग आप, वो आदमी नया है मगर सावधान है, सामान कुछ नहीं है फटेहाल है मगर, झोले में उसके पास कोई संविधान है।'' ऐसा नहीं है पहले कश्मीर में कोई कानून नहीं था। कानून तो भारत जब गुलाम था, तब भी था। जो कानून आम जनता, बेबस, मजबूर की वकालत करता है, वही श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। भारत का कानून ऐसा ही है जिसमें किसी भी प्रकार की गैर बराबरी के लिए स्थान नहीं है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भारत का संविधान वहाँ लागू कर देने से क्या समस्याओं का समाधान हो जायेगा? इस बात की गारंटी क्या है? यह सच है कि कानून कितने ही बन जायें जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा वह सफल हो ही नहीं सकता है। जिसके लिए कानून बना है, उसकी हाँ जरूरी है। संसद में लद्दाख के तेजस्वी सूर्या ने जिस तरह से 370 हटने का समर्थन किया वह वही सहयोग है, जो किसी देश को चाहिए। इसी तरह का सहयोग जम्मू-कश्मीर से भी मिले तब जाकर संविधान सही तरीके से लागू हो पायेगा। एक तरफ जहाँ खुशी की लहर है वहीं कुछ लोगों में डर भी है। वो डर है कि आखिर वहाँ की जनता का सहयोग कितना मिलेगा। मिला तो बेहतर है, लेकिन नहीं मिला तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? इन सब के बावजूद 370 हटने से उम्मीद तो लोगों में जगी ही है।

कश्मीर में शरीयत का कानून चलता है। इस कानून के तहत महिलाओं को, भारत के संविधान में जो महिलाओं को अधिकार प्राप्त है उससे वह महरूम थी। चाहे पंचायत हो, महिला अधिकार, विवाह का मुद्दा हो, यह सभी उसे अधिकार के नजदीक लाते हैं। अभी हाल ही में तीन तलाक बिल पास हुआ है। यह बिल वहाँ तब तक लागू नहीं हो सकता था, जब तक वहाँ 370 रहता। आखिर एक देश एक कानून का अधिकार क्यों नहीं सभी को समानरूप से प्राप्त हो। भारतीय संविधान लागू होने से लोग कभी न कभी तो एक दूसरे के करीब आयेंगे। पहले वह सभी अपने को कश्मीरी कहलवाते थे। दूरियां घटने पर वह खुद को भारतीय जरूर कहेंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं।

लद्दाख और कश्मीर में पर्यटन के बहुत से विकल्प हैं। महिलाओं को अब आरक्षण मिलेगा। पढ़ाई रोजगार तमाम जगहों पर उन्हें बेहतर विकल्प मिलेंगे। कश्मीर में हिंदू-मुस्लिम सभी महिलाओं को फायदा मिलेगा। धर्म हमेशा ही व्यक्तिगत होना चाहिए। संविधान ने जो भी अधिकार महिलाओं को दिया है, वह उसे मिलना ही चाहिए। कोई धर्म उसमें बाधा नहीं बन सकता है। 370 में बचाने के लिए अब कुछ बचा भी नहीं था, वह खत्म होने की कगार पर थी। भारतीय संविधान के सामने वह बहुत ही कमजोर थी। इस अनुच्छेद को समाप्त तो सभी करना चाहते थे, मगर राजनीतिक इच्छाशक्ति न होने के कारण यह कदम नहीं उठा पाये। आर्टिकल 370 हटाना एक ऐतिहासिक कदम है। उसके फायदे नुकसान की सही तस्वीर तो समय तय करेगा, लेकिन इसका हटना सकारात्मक कदम है। कश्मीर सदियों से जल रहा है।

जमीन कहने को हो सकता है इतना बड़ा मुद्दा न हो। हमारे देश के संविधान में सभी लड़कियों को उसके पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार है। यह देश के हर तबके और व्यक्ति को बराबर का अधिकार देती है। सन् 2002

में इसी तरह का एक केस हाइकोर्ट में आया था, जिसमें कश्मीरी महिला को जीत मिली थी। भारतीय संविधान उसे उसके आगे के अधिकार देगा, जिससे वह पुरुष के बराबर खड़ी होकर हर क्षेत्र में रोजगार तलाश सके, अपनी इच्छा के अनुरूप जीवन जी सके। पिछड़ा व्यक्ति चाहे वह आर्थिक आधार पर हो या सामाजिक आधार पर उसे यह संविधान बराबरी का अधिकार देता है। इस तरह का आरक्षण बहुत ही कम देशों में है। बाबा साहब का सपना अब देश के उस हिस्से में भी लागू होगा जो किन्हीं राजनीतिक कारणों से महरूम था।

इस कानून के आने से जो बड़े बदलाव हुए, वे हैं, पहले जो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार मिले थे, वे समाप्त हो गये। दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी अब वहाँ नहीं होगा। पूरे देश में अब सिर्फ एक ही झंडा होगा - तिरंगा। आर्टिकल 356 लागू होगा। आर्थिक आपातकाल पहले वहाँ लागू नहीं हो पाता था, जो अब लागू हो सकेगा। दूसरे राज्य के लोग वहाँ जाकर जमीन खरीद सकेंगे। यहाँ देश का संविधान ही अब रहेगा। अल्पसंख्यकों को वहाँ अब तक आरक्षण नहीं था, जो अब लागू हो सकेगा। आरटीआई और सीएजी वहाँ काम करेगी, इससे पहले इसका प्रावधान वहाँ नहीं था। विधानसभा का कार्यकाल छह साल के बजाय अब पांच साल रहेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि केंद्रीय शासित प्रदेश से हटकर यह स्वतंत्र राज्य भी जल्द ही बनेगा।

हमेशा से ही कश्मीर मुद्दा हमारे देश का अहम मुद्दा रहा है। कई सरकार इसी से बनती और बिगड़ती थी। इसके हटने से खुश होने के साथ दुःखी लोग भी कम नहीं हैं। पाकिस्तानी मीडिया कहता है ''अब कश्मीर की आबादी, भौगोलिक और धार्मिक स्थितियां बदल जाएंगी।'' आखिर क्यों इस तरह की चिंता हमारे पड़ोसी मुल्क को हो। जिन राज्यों में भारत का संविधान है, क्या वहाँ इस तरह से स्थितियां बदली। आखिर क्यों किसी देश में एक धर्म का कानून लागू हो। हमारा देश बहुसामाजिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक देश है, यही इसकी खूबसूरती भी है।

370 हटने का एक बड़ा मतलब है कि भारत के संविधान के अंदर कश्मीर आ गया। भारत के संविधान से जुड़े महिलाओं के जितने भी उपबंध हैं, वो सभी वहाँ लागू होंगे। भारत के कानून को लागू करने की सुविधा हो जायेगी। महिलाएं महिला-आयोग, रिजर्वेशन आदि का लाभ उठा सकेंगी। मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। शिक्षा, रोजगार, स्वतंत्रता और आजादी जो भी यहाँ की महिलाओं को प्राप्त है, वह मिल सकेगा। रोजगार के हर क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो सकेगा। मुख्यधारा से जुड़ने से राष्ट्रीय एकता के भाव में वृद्धि होगी। 370 के तहत कई बार पाकिस्तानियों को वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी जो अब संभव नहीं हो पायेगा। कई बार भारत आने के लिए पाकिस्तान के पुरुष भारतीय महिलाओं से विवाह कर लेते थे। जिससे उन्हें कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब यह संभव नहीं हो सकेगा। और सबसे बड़ी जीत यह होगी कि पड़ोसी हस्तक्षेप बंद होगा। इसके बाद से यह पूर्णतया भारत का आंतरिक मुद्दा होगा, जिस पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं होगा।

कश्मीर में पंचायत के अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जो अब मिल सकेंगे। देश की कई महिलाओं को पंचायतों में नेतृत्व हेतु मैदान मिलेगा। जम्मूकश्मीर में काम करने वाले लोगों को जिस तरह से कम वेतन पर रखा जाता था वह देश के अन्य हिस्सों की तरह बराबरी पर आयेगा। अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिक्खों को भी यहाँ आरक्षण मिल सकेगा। तिरंगे का अपमान करने पर सजा का प्रावधान होगा। जम्मू कश्मीर में अलग झंडा और 370 होने के कारण तिरंगे के अपमान पर सजा नहीं मिल पाती थी। वहाँ दोहरी नागरिकता के कारण कई बार राष्ट्रीय ध्वजा और प्रतीकों का उपद्रवी सरेआम अपमान करते थे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश भी अब वहाँ मान्य होंगे।